प्रेस नोट

दिनांक 24.07.2022 को श्री हीरालाल पुत्र लक्ष्मणप्रसाद नि0 ग्राम सडिया थाना सुनगढी जनपद पीलीभीत द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री उम्र करीब 16 वर्ष द्वारा फांसी लगाये जाने पर मृतका को उसके परिवारीजनों द्वारा तत्काल फंदे से उतारकर जिला अस्पताल पीलीभीत में लाया गया। जहां चिकित्सकों द्वारा चैक करने पर आवेदक की पुत्री को मृत घोषित कर दिया गया था। प्राप्त मैमो के आधार पर मृतका के पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्यवाही करायी गयी। जिसमे मृत्यु का कारण हैंगिग आया। श्री हीरालाल उपरोक्त द्वारा दिनाक 25.07.2022 को अपने ही गांव के संजय पुत्र जयपाल व एक नाबालिग लड़की तथा एक महिला के विरूद्ध छेड़खानी कर प्रताड़ित करने सम्बन्धी थाना सुनगढी पर एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया। जिसके आधार पर तत्काल मु0अ0सं0-360/22 धारा 306/354(घ)/109 भादवि व पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त प्रकरण में महिला सम्बन्धी अपराध होने के कारण शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय पीलीभीत व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय पीलीभीत के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर महोदय पीलीभीत के सफल पर्यवेक्षण के क्रम में सभी पहलुओं पर विवेचना व छानबीन की गयी। दोनो ही पक्ष सजातीय हैं। आरोपी संजय के पिता रूद्रपुर में रहकर बजाज की रूप पालिमर फैक्ट्री में कार्य करते हैं तथा पूरा परिवार करीब 05 वर्ष से रूद्रपुर में ही किराये पर रहता है। ग्राम सड़िय़ा में आरोपी के मकान पर ताला लगा है तथा गांव में दूसरे मकान में उसके दादा दादी निवास करते हैं जहां आरोपी का यदा कदा आना जाना बना रहता है। विवेचना के मध्य सभी संशाधनों का युक्ति-युक्ति रूप से प्रयोग किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों से प्रकाश में आया कि मृतका एवं नामित आरोपी संजय के मध्य करीब 01 वर्ष से आपस में वार्ता हो रही थी। दोनो ही एक दूसरे के निकटता में आ गये थे। मृतका द्वारा घटना से पूर्व आरोपी संजय से मोबाईल फोन पर वार्ता की और उसके पास रूद्रपुर जाने को कहा परन्तु आरोपी द्वारा मृतका को स्पष्ट रूप से रूद्रपुर आने से मना कर दिया जिससे मृतका अत्यन्त दुखी व परेशान हो गई और आरोपी से लगातार सम्बन्ध रहने के उपरान्त मना करने पर परेशान होकर मृतका ने आत्महत्या कर ली। जिसके सम्बन्ध में उपरोक्त अभियोग पंजीकृत हुआ। स्थानीय पुलिस द्वारा अभियुक्त संजय उपरोक्त की गिरफ्तारी हेतु सभी सार्थक प्रयास किये गये। प्रयासोपरान्त अभियुक्त संजय को आज दि0 28.07.2022 को टाइगर तिराहा से गिरफ्तार किया गया है विवेचना के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों से मृतका एवं आरोपी संजय के बीच प्रेम सम्बन्धों के तथ्य सामने आये हैं। छेड़खानी किये जाने सम्बन्धी आरोपों के सम्बन्ध में कोई पुष्टिकारक साक्ष्य सामने नही आये हैं। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभि0 –

संजय पुत्र जयपाल नि0-ग्राम सड़िया थाना सुनगढ़ी पीलीभीत उम्र 18 वर्ष

पुलिस पार्टी –

(1)उ0नि0 श्री कमलेश कुमार थाना सुनगढी पीलीभीत

(2)हे0का0 265 हरेन्द्र सिंह थाना सुनगढी पीलीभीत

(3)म0कां0 411 कु0 स्वाति थाना सुनगढी पीलीभीत